Registration No.- RCS-245A/2023
Filing No.-RCS-1546/2023
CNR No.-MP1501-0097272023
Date of Registration-17-07-2023

श्रीमति प्रेमलता शुक्ला व अन्य बनाम कैलाश तिवारी

10-03-2025

वादीगण सहित श्री पवन कुमार सोनी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी सहित श्री निर्देश फुसकेले अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्ष द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी के पिता रामसेवक तिवारी द्वारा अपने स्वयं के नाम से एक तीन मंजिला मकान क्रमांक 1/92 कछयाना सदर बाजार केंट सागर जो कि 11 बाय 50 कुल 550 वर्गफीट, जिसकी चतुर्थ दिशाएँ–पूर्व में माता बदल का मकान, पश्चिम में शांति ठाकुर का मकान, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में रास्ता है जिसे नजरी नक्शा में आर्टिकल–ए से दर्शाया गया है तथा दूसरा मकान अपनी बडी पुत्री भागवती बाई के नाम से भगवानगंज वार्ड सागर में क्रय किया था जो कि भागवती बाई के नाम से नगर पालिक निगम सागर में भगवानगंज वार्ड सागर मकान नं. 176/6 पर दर्ज है तथा तीन मंजिला होकर कुल 702 वर्गफीट जिसकी चतुर्थ दिशाएँ पूर्व में सूरज सेन का मकान, पश्चिम में सुशील मायकल का मकान, उत्तर में राकेश चौबे का मकान एवं दक्षिण में रास्ता है जिसे नजरी नक्शा आर्टिकल–बी से दर्शाया गया है तथा आगे उक्त दोनों मकानों को विवादित मकान के नाम से संबोधित किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादी आपस में सगे भाई बहिन है तथा भविष्य में वादीगण एवं प्रतिवादी अथवा उनके वारसानों के मध्य कोई विवाद न हो इस कारण वादगण एवं प्रतिवादी के मध्य मिल बैठकर बिना किसी डर दबाव के आपसी समझौता हो गया है। प्रतिवादी ने एक तीन मंजिला मकान क्रमांक 1/92 कछयाना सदर बाजार केंट सागर जो कि 11 बाय 50 कुल 550 वर्गफीट, को अपनी दोनों बहनों को दे दिया जिस पर प्रतिवादी का कभी भी कोई हक हिस्सा न होगा एवं प्रतिवादी भगवानगंज वार्ड क्र. 15 सागर प.ह.नं 65 मकान नं 176/6 प्लाट नं 176/290 तीन मंजिला होकर 702 वगफीट में स्वयं निवास करेगा जिसमें वादी का कभी भी कोई हक व स्सिा नही होगा। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में कभी भी एक दूसरे के मकान में हस्तक्षेप नहीं करेगें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का

स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी घोषित कर तद्नुसार डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्तानुसार राजीनामा में किसी भी पक्षकार का अन्य कोई वाद विवाद एवं लेना देना शेष नहीं है।

उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में उभयपक्ष के राजीनामा कथन पृथक से अंकित किए गए ।

प्रकरण का परिशीलन तथा आवेदन पत्र पर विचार किया गया ।

प्रकरण के परिशीलन से ज्ञात होता है कि वादीगण द्वारा यह वाद भगवानगंज वार्ड क्र. 15 सागर प.ह.नं 65 मकान नं 176/6 प्लाट नं 176/290 तीन मंजिला होकर 702 वर्गफीट एवं एक तीन मंजिला मकान क्रमांक 1/92 कछयाना सदर बाजार केंट सागर जो कि 11 बाय 50 कुल 550 वर्गफीट के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा, स्वत्वधिकारी एवं आधिपत्यधारी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी का आपसी राजीनामा हो गया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी उक्त समझौता विधि सम्मत है तथा लोकनीति के विरूद्ध नहीं है।

अतः प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए, निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :–

1. वादग्रस्त तीन मंजिला मकान क्रमांक 1/92 कछयाना सदर बाजार केंट सागर जो कि 11 बाय 50 कुल 550 वर्गफीट, जिसकी चतुर्थ दिशाएँ–पूर्व में माता बदल का मकान, पश्चिम में शांति ठाकुर का मकान, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में रास्ता है जिसे नजरी नक्शा में आर्टिकल–ए से दर्शाया गया है, को राजीनामा अनुसार वादीगण श्रीमति प्रेमलता शुक्ला एवं श्रीमति कांता तिवारी को आधे–आधे भाग की स्वामी घोषित किया जाता है।

2. वादग्रस्त मकान भगवानगंज वार्ड क्र. 15 सागर प.ह.नं 65 मकान नं 176/6 प्लाट नं 176/290 तीन मंजिला होकर 702 वगफीट जिसकी चतुर्थ दिशाएँ पूर्व में सूरज सेन का मकान, पश्चिम में सुशील मायकल का मकान, उत्तर में राकेश चौबे का मकान एवं दक्षिण में रास्ता है, को राजीनामा अनुसार प्रतिवादी कैलाश को स्वामी घोषित किया जाता है।

3. वादीगण एवं प्रतिवादी उपरोक्तानुसार अपने–अपने मकान एवं उनके भाग के आधिपत्यधारी होंगे।

4. उभयपक्ष एक–दूसरे के हक व हिस्से के भवन में हस्तक्षेप नही करेगें।

5. प्रस्तुत राजीनामा आवेदन आदेश का भाग होगा।

6. उभयपक्ष अपना अपना वहन व्यय वहन करेंगे ।

7. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार आकलित की जावे व जो भी कम हो, देय हो।

तदनुसार अज्ञाप्ति की रचना की जावे।

प्रकरण का आदेश सी.आई.एस. में अपलोड़ किया जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेख, अभिलेखागार भेजा जावे।

VINAY
SINGH
RAJPOOT

(विनय सिंह राजपूत)
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड
सागर म0प्र0

Digitally signed
by VINAY SINGH
RAJPOOT
Date: 2025.03.10
18:22:53 +0530